भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4163

दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

महिला श्रम दर भागीदारी दर

4163. श्री संजय काका पाटीलः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक की उस रिपोर्ट, जिसमें महिला श्रमिक सहभागिता दर के मामले में भारत 131 देशों में से 121वें स्थान पर है को ध्यान में रखकर भारत में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए क्या पहलें की गई हैं;

(ख) मंत्रालय द्वारा आईएलओ की उस रिपोर्ट, जिसमें भारत में महिला श्रम भागीदारी वर्ष 1990 में 35 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014 में 27 प्रतिशत हो गई है, को ध्यान में रखकर ग्रामीण भारत में महिला श्रम बल भागीदारी में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) मंत्रालय द्वारा आधुनिक भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरी कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुस्थिर परिवहन प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की संख्या के वर्तमान आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की संख्या के वर्तमान आंकडों का ब्यौरा क्या है और इनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ग) : सरकार ने ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), स्टार्टअप ग्राम उद्यमियता कार्यक्रम (एसवीईपी), डीएवाई-एनआरएलएम के तहत आजीविका ग्रामीण एक्सप्रैस योजना (एजीईवाई) उप-स्कीमों, महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी), प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) परियोजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जैसी स्कीमों के माध्यम से श्रम बल भागीदारी सहित आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक पहलें की हैं ।

इसके अलावा, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार लाने के लिए, महिला कामगारों के लिए सौहार्दपूर्ण कार्य माहौल बनाने के लिए विभिन्न श्रम कानूनों में कई सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं । इनमें शिशु देखरेख केंद्र, बच्चों को भोजन कराने के लिए विराम, सवेतन मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले स्थापनों में अनिवार्य क्रैच सुविधा का प्रावधान, रात की पालियों में महिला कामगारों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों का प्रबंध इत्यादि शामिल हैं । कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 लागू किया गया है । इस अधिनियम में आयु या रोजगार स्थिति पर विचार किए बिना सभी महिलाएं शामिल हैं और यह संगठित या असंगठित, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में सभी कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है ।

भारत सरकार ने निर्भया फंड के तहत महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए अनेक परियोजनाओं का अनुमोदन किया है, जिसमें दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बैंगलुरु, हैदराबाद और लखनऊ सहित 08 प्रमुख शहरों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित शहर परियोजनाएं, कोंकण रेलवे परियोजना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों में सुरक्षित परिवहन परियोजनाएं शामिल हैं ।

इसके अलावा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत अधिसूचना जारी करके 01 जनवरी, 2019 को या उसके बाद पंजीकृत सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग (वीएलटी) उपकरण और आपातकालीन बटनों के उपयोग का अधिदेश दिया है । राज्यों के पास यह विकल्प है कि वे 31 दिसम्बर, 2018 तक पंजीकृत वाहनों में वीएलटी और आपात बटनों के कार्यान्वयन की समय-सीमा निर्धारित करें ।

(घ) से (ड.) : 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में महिला श्रमिकों की कुल संख्या 149,948,993 है जिसमें से 121,906,079 ग्रामीण क्षेत्रों में और 28,042,914 शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं ।

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार ग्रामीण महिलाओं का श्रमिक आबादी अनुपात 17.5% है जबकि शहरी महिलाओं में यह 14.2% है । राज्य-वार सूची अनुलग्नक-I में दी गई है ।

*****

अनुलग्नक-I

'महिला श्रम दर भागीदारी दर' वषय पर श्री संजय काका पाटील द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकत प्रश्न संख्या 4163 के उत्तर के भाग (घ) से (ड.) में संदर्भत ववरण

राज्य-वार महिला श्रमक आबादी अनुपात

क्र.सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	महिला श्रमक आबादी अनुपात (पीएलएफएस रिपोर्ट **2017-18)** ए **70**	
		ग्रामीण (%)	शहरी (%)
1	आंध्र प्रदेश	38.1	22.8
2	अरुणाचल प्रदेश	10.0	6.7
3	असम	8.1	11.0
4	बिहार	2.5	4.2
5	छत्तीसगढ़	38.8	20.8
6	दिल्ली	2.2	10.1
7	गोवा	20.4	16.8
8	गुजरात	16.5	12.2
9	हरियाणा	9.6	9.3
10	हिमाचल प्रदेश	40.0	16.9
11	जम्मू और कश्मीर	22.9	13.9
12	झारखंड	10.5	9.6
13	कर्नाटक	21.1	16.8
14	केरल	16.6	16.0
15	मध्य प्रदेश	25.6	14.7
16	महाराष्ट्र	28.9	14.9
17	मणपुर	13.9	17.4
18	मेघालय	37.3	21.0
19	मजोरम	20.4	20.2
20	नागालैंड	8.3	9.1
21	ओडशा	14.4	11.7
22	पंजाब	9.9	12.3
23	राजस्थान	21.5	9.8
24	सक्किम	34.9	25.2
25	तमलनाडु	29.4	20.4
26	तेलंगाना	29.9	15.9
27	त्रिपुरा	8.2	11.8
28	उत्तराखंड	14.2	7.3
29	उत्तर प्रदेश	9.6	7.3
30	पश्चिम बंगाल	15.2	17.4
31	अंडमान और निकोबार द्वीप	13.5	16.2
32	चंडीगढ़	8.0	15.5
33	दादरा और नगर हवेली	36.2	15.7
34	दमन और दीव	22.4	18.5
35	लक्षद्वीप	7.8	7.0
36	पुद्दुचेरी	5.2	14.0
	अखल भारत	**17.5**	**14.2**

*****